<u>रा.आ.बैंक में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु –</u>
<u>अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण</u>

क. राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में है। रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में है।

ख. रा.आ.बैंक, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन कार्य-निष्पादकता एवं पात्रता मानदंड के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) के रूप में चयन के लिए व भारतीय रिजर्व बैंक को आगे अनुशंसा हेतु एवं वार्षिक आधार पर नवीकरण के लिये प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों से "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करता है।

ग. इच्छुक व पात्र फर्म अपना डेटा/विवरण/दस्तावेज सॉफ्टकॉपी में 25 फरवरी, 2022 तक शाम 5:00 बजे तक ही ईमेल आईडी auditho@nhb.org.in पर जमा कर सकते हैं। फर्मो की पात्रता का आकलन करने के बाद हार्डकॉपी एकत्र की जाएगी। फर्मों की पात्रता का आकलन करने के बाद में हार्डकॉपी एकत्र की जाएगी। ईमेल आवेदन के विषय पर " अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण (ईओआई) - रा.आ.बैंक में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु" लिखा जाना चाहिए। ईमेल में फर्म के अधिकृत व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। (कोई भी आवेदन कटऑफ तिथि और समय सीमा के बाद प्राप्त होने पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा)

घ. इच्छुक व पात्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी एवं एनबीएफसी (आ.वि.कं. सहित) के 'सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश' पर दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भा.रि. बैंक परिपत्र में उल्लिखित पात्रता मानदंडों और भा.रि. बैंक को सांविधिक लेखा

परीक्षकों (एसए) की अनुशंसा हेतु बैंक की नीति जो कि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है को पूरा करना अपेक्षित है।

ङ. इच्छुक फर्मों को निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज (फर्म द्वारा प्राधिकृत भागीदार द्वारा स्व-सत्यापित/प्रमाणित, हालांकि, कोई भी डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा) प्रदान करना अपेक्षित है:

1. **परिशिष्ट – 1** के अनुसार पात्रता मानदंड का विवरण
2. फर्म की प्रोफाइल
3. जिन लेखापरीक्षा फर्म के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या निजी/वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षकों का अनुभव है, उन बैंकों/संगठनों की लेखा परीक्षा की सूची एवं वर्ष।
4. सूची व वर्ष (कार्य शुरू होने एवं पूरा करने की तिथि), यदि आपकी फर्म ने रा.आ.बैंक के साथ कोई आंतरिक असाइनमेंट/विशेष असाइनमेंट, समवर्ती लेखा परीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा, फोरेंसिक लेखा परीक्षा आदि किया है।
5. फर्मों का नवीनतम गठन प्रमाणपत्र।
6. संपर्क नंबर और भागीदार/भागीदारों का नाम।
7. फर्म द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र कि फर्मों एवं उसके भागीदारों के विरुद्ध कोई कानूनी वाद/आपराधिक मामला लंबित नहीं है अथवा पहले किसी नैतिक भ्रष्टता या लागू कानून के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।
8. दिल्ली/एनसीआर स्थित प्रधान कार्यालय का पता (सहयोगी कार्यालय पर विचार नहीं किया जाएगा)।
9. लेखा परीक्षा फर्म की स्वतंत्रता एवं इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट पर घोषणा।
10. लेखा परीक्षा फर्मों का अखिल भारतीय पैनल सीए एंड जी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी शॉर्टलिस्ट किये गए हैं एवं जो वित्त वर्ष 2021-22 हेतु पीएसबी के एससीए के रूप में नियुक्ति पर विचार करने के पात्र हैं, वे बैंक को ही अपना आवेदन जमा करेंगे।
11. सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।
12. चयन प्रक्रिया व स्कोरिंग पैटर्न का विवरण **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

डिस्क्लेमर: बैंक, यदि आवश्यक हो तो, उपर्युक्त के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी मांग सकता है।

च. रा.आ.बैंक, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

छ. ईमेल आईडी auditho@nhb.org.in पर मेल के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने के अंतिम दिन से 5 दिन पहले किसी भी प्रश्न पर जानकारी दी जायेगी, एवं यदि यह मेल के माध्यम से हल नहीं होता है, तो आप निम्नलिखित नंबरों पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते है (अर्थात सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक):

श्री रौनक अग्रवाल	011 – 3918 7259
श्री आशीष जैन	011 – 3918 7107

अभिरुचि की अभिव्यक्ति की अन्य पात्रता शर्तों, निबंधन एवं अन्य प्रावधानों के लिये अंग्रेजी विषय वस्तु का अवलोकन करने का कष्ट करें।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX